



सं.मानू/ई.आर-1(बी)/एफ.20/2024-25/1523

दिनांक : 31.12.2024

आदेश

विषय : मानू-ई.आर-1 अनुभाग - प्रो.तबरेज़ अहमद, संकायाध्यक्ष, मानू विधि संकाय को विधि विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में-आदेश-जारी।

- संदर्भ : 1. दिनांक : 29.11.2024 को संकायाध्यक्ष, मानू विधि संकाय से प्राप्त नोट ।
2. दिनांक : 24.12.2024 को कुलपति द्वारा अनुमोदित ।

<< :: >>

विश्वविद्यालय नियम के अधिनियम -8 में निहित प्रावधानों के अनुसार, कुलपति महोदय की अनुमति से प्रो.तबरेज़ अहमद, संकायाध्यक्ष, मानू विधि संकाय को दिनांक 24.12.2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए विभागाध्यक्ष, विधि विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है।

- नियुक्ति विश्वविद्यालय नियम एवं अधिनियम के नियम-8 के अंतर्गत उल्लिखित उपनियम तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय संबद्ध अध्यादेशों द्वारा शासित होगी।
- किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते के अधिकारी नहीं होंगे। कार्यभार सेवा कार्यकाल में पदोन्नति के लिए किसी भी दावें हेतु उन्हें अधिकार नहीं प्रदान करेगा।


कुलसचिव

सेवा में,

प्रो. तबरेज़ अहमद

संकायाध्यक्ष, मानू विधि संकाय

प्रतिलिपि :

- सभी अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष
- सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)
- कुलपति/ कुलसचिव/ ओएसडी-I/ओएसडी-II/ वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय
- सहायक कुलसचिव(ई.आर-II/संपदा अनुभाग/क्रय अनुभाग/शैक्षणिक अनुभाग)
- विश्वविद्यालय वेबसाइट
- व्यक्तिगत फाइल
- संबंधित फाइल